

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 522]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2026 — भाद्र 20, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2026

अधिसूचना

F. No 1877/E.Comp.139608/2272/XXI-B/CG/2026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची—एक में,—

1 खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(ख) मुख्य परीक्षा (लिखित) (अधिकतम अंक 400)

प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से, रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 1:10 के अनुपात में अपेक्षाकृत श्रेष्ठ अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (लिखित) हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा (लिखित) में निम्नलिखित चार वर्णनात्मक प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घण्टे की अवधि का होगा :—

अ.	पेपर 1— सिविल विधि
ब.	पेपर 2— आपराधिक विधि
स.	पेपर 3— भाषा, सामाजिक, कानूनी अवधारणा एवं अनुवाद
द.	पेपर 4—निर्णय लेखन

अ. पेपर 1— सिविल विधि		अधिकतम अंक 100
1	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	
2	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	
3	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	

4	परिसीमा अधिनियम, 1963	
5	सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882	
6	भारत का संविधान	
7	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	
8	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959	
ब. पेपर 2 – आपराधिक विधि		अधिकतम अंक 100
1	भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का क्र. 45)	
2	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का क्र. 46)	
3	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का क्र. 47)	
4	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अध्याय 13 और अध्याय 17)	
5	छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915	
6	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015	
7	आयुध अधिनियम, 1959	
8	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	
स. पेपर 3 – भाषा, सामाजिक, कानूनी अवधारणा एवं अनुवाद		अधिकतम अंक 100
अंग्रेजी भाषा		
1	वाक्य एवं शब्द शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द एवं संक्षेपण	10
हिन्दी भाषा		
2	वाक्य एवं शब्द शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द एवं संक्षेपण	10
3	सामाजिक विषय पर लेख (परिचय, प्रभाव, सुझाव, निष्कर्ष)	20 (प्रति एक भाग के लिए 5 अंक)
4	कानूनी विषय पर लेख (परिचय, प्रभाव, सुझाव, निष्कर्ष)	20 (प्रति एक भाग के लिए 5 अंक)
5	विधि के अद्यतन ज्ञान का मूल्यांकन	20
6	अनुवाद:- अंग्रेजी से हिन्दी (वाक्यवार)	10 (वाक्यवार अंक)
	हिन्दी से अंग्रेजी (वाक्यवार)	10 (वाक्यवार अंक)
द. पेपर 4 – निर्णय लेखन		अधिकतम अंक 100
भाग-1		
1	प्रारूप एवं अभिवचन-सिविल/आपराधिक	20
भाग-2		
2	सिविल मामलों में निर्णय लेखन	40 अंक
भाग-3		
3	आपराधिक मामलों में निर्णय लेखन	40 अंक

2. खण्ड (ग) में शब्दों “मौखिक परीक्षा के लिए अधिकतम अंक” के पश्चात्, अंक “15” के स्थान पर, अंक “25” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, प्रमुख सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 11th September 2026

NOTIFICATION

F. No. 1877/E.Comp.139608/2272/XXI-B/CG/2026.— In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh and Chhattisgarh Public Service Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Schedule-I,-

- for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) Main Examination (Written) (Max. Marks 400)

Relatively more meritorious candidates from amongst those who appeared in the preliminary examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be called for Main Examination (Written).

Main Examination (Written) shall consist of the following four descriptive papers. Each paper shall be of three hours duration:-

A.	Paper 1-	Civil Law,
B.	Paper 2 -	Criminal Law,
C.	Paper 3 -	Language, Social, Legal Perspective & Translation,
D.	Paper 4-	Judgement Writing

A. Paper 1- Civil Law		Max. Marks 100
1	The Code of Civil Procedure, 1908	
2	The Indian Contract Act, 1872	
3	The Specific Relief Act, 1963	
4	The Limitation Act, 1963	
5	The Transfer of Property Act, 1882	
6	The Constitution of India	
7	Hindu Succession Act, 1956	
8	The Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959	
B. Paper 2- Criminal Law		Max. Marks 100
1	The Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023)	
2	The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023)	
3	The Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No. 47 of 2023)	
4	Negotiable Instrument Act, 1881 (Chapter 13 & Chapter 17)	
5	The Chhattisgarh Excise Act, 1915	
6	Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015	
7	Arms Act, 1959	
8	Information Technology Act, 2000	
C. Paper 3 - Language, Social, Legal Perspective & Translation		Max. Marks 100
English Language		
1	Sentence and word correction, Antonyms, Synonyms, One Word Substitution and Summarization	10
Hindi Language		
2	Sentence and word correction, Antonyms, Synonyms, One Word Substitution and Summarization	10
3	Article on Social Topic (Introduction, Impact, suggestion, Conclusion)	20 (5 marks in each part)
4	Article on Legal Topic (Introduction, Impact, suggestion, Conclusion)	20 (5 marks in each part)

		part)
5	Evaluation regarding updated Knowledge of Law	20
6	Translation:- English to Hindi (Sentence wise)	10 (Marking sentence wise)
	Hindi to English (Sentence wise)	10 (Marking sentence wise)
D. Paper 4 - Judgment Writing		Max. Marks 100
PART-1		
1	Conveyance & Pleading- Civil/Criminal	20
PART-2		
2	Writing of Judgment in Civil Cases	Marks 40
PART-3		
3	Writing of Judgment in Criminal Cases	Marks 40"

2. in clause (c), after the words, 'Viva-Voca would be', for the number "15" the number "25" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANEESH KUMAR THAKUR, Principal Secretary.